या कार्यवाही		विवरण
26/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र में स्वयं को नाथु का दत्तक पुत्र बताया गया है परंतु इस संदर्भ में कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया। प्रा. पत्र प्रस्तुत करने से पहले प्रतिवादीगण के बुजुर्गों, जिनका नाम पर्चा सैटलमैंट में अंकित है, की 3 पीढ़ि के क्रमबद्ध (legal heirs के 3 channel) रूप से नामांतरकरण खुलने के बावजूद उसे चुनौती नहीं दी गई। पर्चा सेटलमैंट में वादग्रस्त ख. नं. 146 प्रतिवादी के बुजुर्ग गंगाबक्स पुत्र अमरा के नाम अंकित है वहीं वादी अपने प्रा. पत्र. व प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार खातेदार भी नहीं है। अतः यह प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत नहीं होता। चूंकि वादी उक्त वादग्रस्त खसरा नं में खातेदार (रिकॉर्डेड) ही नहीं, इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के पैमाने पर भी न्यायालय को संतुष्ट कर पाने में विफल रहा है। मात्र मौखिक कथन के आधार पर व प्रा. पत्र में वादी अनुसार वर्णित वादग्रस्त खसरा नं पर उनके द्वारा बताए गए कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना न्योचित प्रतीत नहीं होता। वहीं प्रतिवादी के पक्ष में पर्चा सैटलमैंट में उनके बुजुर्ग का वादग्रस्त खसरा नं. के संदर्भ में नाम [illegible] पश्चात समय-समय पर उनके वारिसान के नामांतरकरण स्वीकृत हुए हैं। अतः प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, वादी द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य ना प्रस्तुत कर पाने व प्रथम दृष्टया मामला,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.27 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

2- सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के पैमाने पर खरा ना उतरने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल करार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.27 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested